भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/41/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5,संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच की शुरूआत संबंधी अधिसूचना
मामला संख्या एडी(ओआई) -36/2025

दिनांकः 29 सितंबर 2025

विषय: चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्लिमेशन पेपर के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स जीटी पेपर्स, मेसर्स हाई टेक पेपर्स और मेसर्स जिबो पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सब्लिमेशन पेपर (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कथित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद सब्लिमेशन पेपर है। इसे बाज़ार की भाषा में सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर, हीट ट्रांसफर पेपर, डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए पेपर, वुड ग्रेन ट्रांसफर पेपर और थर्मल ट्रांसफर पेपर के नाम से भी जाना जाता है।

4. संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए, कम सांध्रत और उच्च आयामी स्थिरता वाले उच्च गुणवत्ता वाले कागज़ को अकार्बनिक पिगमेंट, बाइंडर, सर्फेक्टेंट और अन्य सामग्रियों से बने घोल में कागज़ के दोनों ओर समान रूप से लेपित किया जाता है। लेपित कागज़ को सुखाने वाले ओवन से गुज़ारा जाता है जो कोटिंग को सुखाते हैं और फिर सूखे कागज़ को वांछित चिकनाई, फिनिश और मोटाई प्राप्त करने के लिए रोलर्स से दबाया जाता है।

5. सब्लिमेशन पेपर का उपयोग मुख्य रूप से कपड़ा और परिधान मुद्रण, व्यक्तिगत उत्पादों, प्रचार सामग्री, सिरेमिक टाइलों, फ़ोन कवर, मग और टम्बलर, पहेलियाँ, माउस पैड, फोटो उपहार और साइनेज में एक विशेष मुद्रण सामग्री के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पॉलिएस्टर या उसके मिश्रण में स्याही अंतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक लेपित अंतरित कागज़ है जिसे मुद्रित रूप में ऊर्ध्वपातन डाई-आधारित स्याही को अस्थायी रूप से बनाए रखने और तापीय अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें एक संगत सब्सट्रेट पर कुशलतापूर्वक छोड़ने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विचाराधीन उत्पाद या तो दृढ़ लकड़ी के गूदे से या पुनर्चक्रित कागज़ से बना हो सकता है।

6. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने माप की इकाई के रूप में वर्ग मीटर पर विचार किया है।

7. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 48 के अंतर्गत प्रशुल्क कोड 4809 9000, 4810 2200 और 4810 2900 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं को कई कोडों के अंतर्गत आयात किया गया है, जिनमें 4802 1010, 4807 0090, 4808 9000, 4810 1390, 4810 1490, 4810 1990, 4810 9900, 4811 4900, 4811 9099, 4816 9090, 4821 9090, 4823 6900, 4823 7090 और 4823 9090 शामिल हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. लागत और कीमत के संदर्भ में अंतर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवेदकों द्वारा निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्याएँ (पीसीएन) प्रस्तावित की गई हैं।

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	कोड
1.	34 तक जीएसएम	ए
2.	34 से अधिक सहित जीएसएम, लेकिन 40 तक	बी
3.	40 से अधिक जीएसएम	सी

ख. <u>समान वस्तु</u>

9. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के तुलनीय विशेषताएँ रखती हैं। ये दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जाँच शुरु करने के प्रयोजन से, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां निर्यातित 'संबद्ध वस्तु' के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

10. यह आवेदन मेसर्स जीटी पेपर्स, मेसर्स हाई टेक पेपर्स और मेसर्स जिबो पेपर इंडस्ट्रीज द्वारा दायर किया गया है। इस आवेदन को संबद्ध वस्तुओं के तीन (3) अन्य उत्पादकों, अर्थात् एलीसियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीनाथजी मार्केटिंग कंपनी और सिल्वर पेपरकोट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलीसियम इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिल्वर पेपरकोट प्राइवेट लिमिटेड भारत में पाटित वस्तुओं के आयातकों से संबद्ध हैं।

11. आवेदकों ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे विषय देशों में विषय वस्तुओं के निर्यातकों या भारत में विषय वस्तुओं के आयातकों से संबंधित नहीं हैं।

12. आवेदकों ने दावा किया है कि यदि एलीसियम इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिल्वर पेपरकोट प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के रूप में योग्य माना जाता है, तो भी आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में 34% का बड़ा हिस्सा है। भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 55 हिस्सा आवेदक के साथ-साथ समर्थकों का है। इस प्रकार, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं, और आवेदन एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

13. यह आवेदन चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के डंप किए गए आयात के संबंध में दायर किया गया है।

ड. जाँच की अवधि

14. प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) की अवधि को जाँच की अवधि माना है। क्षति की जाँच की अवधि में 1 अप्रैल 2021-31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022-31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023-31 मार्च 2024 की अवधि और जाँच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदकों ने चीन के आरोहण नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 का संदर्भ दिया है और उस पर भरोसा किया है, और दावा किया है कि चीन जन.गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। जब तक चीन जन.गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य की गणना पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

16. वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है

छ. <u>कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य</u>

17. कोरिया गणराज्य के संबंध में, आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्हें कोरिया गणराज्य में बिक्री कीमतों या प्रचलित कीमतों से संबंधित किसी अन्य जानकारी तक पहुँच नहीं थी। इसलिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण वैकल्पिक आधार पर किया गया है। आवेदकों ने आगे कहा है कि उन्हें कोरिया गणराज्य में उत्पादकों की वास्तविक उत्पादन लागत की जानकारी नहीं थी और इसलिए, यह जानकारी सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई है। आवेदकों ने उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य, बिक्री और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य का निर्माण घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ उचित लाभ के लिए समायोजित किया गया है

ज. <u>निर्यात कीमत</u>

18. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत, डीजी प्रणाली के आंकड़ों में यथा-सूचित संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, पोत और हैंडलिंग व्यय, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बैंक प्रभार, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है ताकि एक्स-फैक्ट्री निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

झ. <u>पाटन मार्जिन</u>

19. पाटन मार्जिन का निर्धारण सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1)(क) के अनुसार किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में भी अधिक है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह प्रमाण है कि

विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ञ. क्षति और कारणात्मक संबंध

20. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयातों और आर्थिक मापदंडों से संबंधित सूचना दर्शाती है कि आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और इनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी नीचे हैं। बाजार हिस्सेदारी, मालसूची और लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्षति की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हो रही है।

ट. पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

21. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हुए, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरु करते हैं तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करते हैं, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ठ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ड. सूचना की प्रस्तुति

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएसवर्ड फार्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों। फाइलों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

24. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

ढ. समय सीमा

26. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित ईमेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए जिस दिन इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार प्रेषित किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने वाली सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई

सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण को प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ण. <u>गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति</u>

29. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसके साथ-साथ उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो यह निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करें, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री को उल्लिखित किया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या सुनिश्चित की जाए।

31. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।

32. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस तरह का

अंकन किए बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर सारांश दिया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश में अगोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश करना संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

34. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

35. गोपनीयता के दावों पर उचित कारण के विवरण के लिए इसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।

36. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

37. प्राधिकारी इस पर संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. **<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>**

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोध का गोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और वह किसी भी मामले में गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं किया जाना चाहिए।अनुरोधों/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने में विफलता के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

त. **<u>असहयोग</u>**

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त समय अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार करता है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी